न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 24 / 2016 / जैसलमेर

अपीलांट
राजस्थान सराकर जरिये
श्रीमान तहसीलदार फतेहगढ़।
जिला जैसलमेर

रेस्पोडेंटगण
बनाम 1.गुमानाराम पुत्र नखताराम
2.मुल्तानाराम पुत्र नखताराम
3.अगराराम पुत्र नखताराम जाति नाई
निवासी ग्राम जानरा तहसील फतेहगढ़
जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 70/2012 बनवान गुमानाराम वगै. बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18. 02.2015 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री केसरसिंह भाटी रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः– 18.07.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोडेंट के हक में ग्राम जोगीदास का गांव के खसरा संख्या 347 रकबा 29. 10 बीघा, खसरा संख्या 327 रकबा 11.10 बीघा भूमि का रेस्पोडेंट को खातेदार घोषित कर इस आशय की घोषणात्मक अज्ञाप्ति जारी की गई है। जबकि यह भूमि सरकारी है। जो सेटलमेंट में भी सरकारी दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 18.02.2015 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट/वादीगण अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। समरी खसरा संख्या से वर्तमान खसरा संख्या बने हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंट की पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम जानरा में समरी खसरा संख्या 117 पीरोवाला खेत रकबा 11.10 बीघा एवं समरी खसरा संख्या 118 चिरोईयोवाला खेत रकबा 86.05 बीघा पर वादीगण के पूर्वजों के समय का कब्जा काश्त है। वक्त फाइनल सेटलमेंट सेटलमेंट अधिकारियों ने रिकॉर्ड में रेस्पोडेंट/वादीगण के पूर्वजों के नाम चली आ रही भूमि वर्तमान खसरा संख्या 347 में रकबा 29.10 बीघा, एवं खसरा संख्या 327 रकबा 11.10 बीघा भूमि को बिना किसी ठोस आधार के रेस्पोडेंट के पूर्वजों की समरी के मालिकाना हक की भूमि बिना कोई जांच किये पड़त सरकार (सिवायचक) में दर्ज कर दिया जो गलत था। अपीलाधीन आराजी पर वादीगण/रेस्पोडेंट की वक्त समरी स्थायी बंदोबस्त से लगातार कब्जा काश्त होने से वादी/रेस्पोडेंट के पूर्वजों की खातेदारी दर्ज थी। भू–प्रबंध कर्मचारियों द्वारा खातेदारी में दर्ज नहीं कर राजकीय सिवायचक दर्ज कर दिया ऐसा करने का सेटलमेंट अधिकारियों को, खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना, राजकीय भूमि घोषित करने का अधिकार नहीं था। अपीलाधीन आराजी बिना किसी आधार के सरकारी भूमि दर्ज कर दी गई जिसका भू–प्रबंध विभाग को कोई अधिकार नहीं था। अमीनों को केवल मात्र दर्ज इन्द्राजो को दौहराने का अधिकार था। सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना उसमें कांट–छांट या कमी करने का अधिकार नही था। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने एवं प्रार्थी का अन्य प्रशासनिक कार्यों में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश है एवं अपील पेश करने में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

प्रार्थी के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय ने पाया है कि कम्प्रेटिव रजिस्टर ग्राम जानरा के अवलोकन से स्पष्ट साबित है कि खाता संख्या 33 समरी बंदोबस्त के खसरा संख्या 117 रकबा 11.10 बीघा (पीरो आलो) व खसरा संख्या 118 रकबा 86.05 बीघा(चिराईयोवाला) नखता वल्द तिला कोम नाई साकिन देह खातेदार दर्ज किया। इस प्रकार उसकी 41 बीघा भूमि की कमी करते हुए वर्तमान बंदोबस्त में पर्चा लगान जारी किया। वर्तमान जमाबंदी संवत 2067 से 2070 मुताबिक पर्चा लगान में अंकित भूमि नखता के वारिस अगराराम, मुल्तानाराम, गुमनाराम पिता नखताराम के नाम खातेदारी में है। अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन पश्चात इसमें कुछ तथ्यातमक त्रुटियां इंगित हुई है और कुछ तथ्यों को पुष्ट प्रमाणों की आवश्यकता है इसलिए मामला रिमाण्ड योग्य ठहरता है।

(अ)अपील में वादग्रस्त भूमि ग्राम जोगीदास का गांव की उल्लेखित की है जबकि निर्णय में ग्राम जानरा है इसलिए इस संबंध में स्थिति स्पष्ट होनी शेष है।

(ब)संबंधित अभिलेख पर प्रदर्श का विधिवत रूप से लाल स्याही में अंकन नहीं है।

(स)वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर लगातार कब्जा काश्त बाबत अभिलेखीय सबूतों को रिकॉर्ड पर लेना अवशेष है।

(द)दावाकृत खसरा संख्या 347 वादी के खेत से लगता (Adjoining) है और उस पर उसका दावा मजबूत है परन्तु खसरा संख्या 327 पर दावे का आधार स्पष्ट होना शेष है।

अतः अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 70/2012 बनवान गुमानाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वगै. बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.02.2015 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उपरोक्त ऑजर्वेशन के आधार पर उभयपक्ष को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से निर्णय पारित करे।

18/7/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 18.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/7/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner